न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 104/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 18.02.2020
अन्तर्गत धाराः 17 राज0 चम्बल कोलोनाईजेशन आवंटन नियम 1957

उनवान

1. बाबूलाल आत्मज कन्हैयालाल जाति बलाई
   निवासी ग्राम ताथेड़, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा
2. बिशनी बाई पुत्री शंकरलाल जाति बलाई
   निवासी ग्राम डाहरा तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा जिला कोटा (राज०)

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 06.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला उपनिवेशन अधिकारी, कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.1977 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 17 राजस्थान चम्बल कोलोनाईजेशन आवंटन नियम 1957 के इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला उपनिवेशन अधिकारी, कोटा द्वारा आदेश दिनांक 03.01.1977 से ग्राम बृजेशपुरा तहसील लाड़पुरा के खसरा सं0 87 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा सं0 89 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा शंकरलाल आत्मज ओंकार के पक्ष में किये गये नियमन को बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला उपनिवेशन अधिकारी, कोटा द्वारा आदेश दिनांक 03.01.1977 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधी, न्याय एवं संचिका मे सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अपीलार्थी के पिता एवं मामा शंकर आत्मज ओंकार को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी के पिता एवं मामा शंकरलाल आत्मज ओंकार को ग्राम बृजेशपुरा तहसील लाड़पुरा स्थित आराजी खसरा सं0 87 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा सं0 89 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि का नियमन दिनांक 24.01.1970 को नियमानुसार कर कब्जा प्रदान किया तब से ही शंकरलाल आत्मज ओंकार कानून के प्रावधानों की निरंतर पालना करते रहे। इंतकाल संख्या 24 दिनांक 25.12.1970 से नियमन आराजी शंकरलाल के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई, तब से निरंतर शंकरलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। बाद सेटलमेंट नवीन खसरा सं0 143 रकबा 0.58 है0 कायम कर शंकरलाल आत्मज ओंकार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। शंकरलाल के स्वर्गवास होने पर अपीलार्थी एक मात्र उत्तराधिकारी एवं कायम मुकामान होने से अपीलार्थी के नाम इंतकाल तस्दीक कर अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया, तब से ही अपीलार्थी बहैसियत खातेदार निरंतर नियमन आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलार्थी द्वारा रेस्पो0 को गैर खातेदारी से खातेदारी लेने हेतु अनेक बार प्रार्थना–पत्र पेश किये। अपीलार्थी रेस्पो0 के कार्यालय में संपर्क करने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.01.2015 को अपीलाधीन आदेश से सिवायचक दर्ज करना बताये जाने पर अपीलार्थी के द्वारा नकल दिनांक 23.02.2016 को प्राप्त की जाकर अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.01.1977 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के पिता एवं मामा शंकरलाल आत्मज ओंकार को ग्राम बृजेशपुरा

अति. सं. आयुक्त
कोटा

तहसील लाड़पुरा स्थित आराजी खसरा सं0 87 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा सं0 89 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि का नियमन दिनांक 24.01.1970 को नियमानुसार कर कब्जा प्रदान किया तब से ही शंकरलाल आत्मज ओंकार कानून के प्रावधानों की निरंतर पालना करते रहे। इंतकाल संख्या 24 दिनांक 25.12.1970 से नियमन आराजी शंकरलाल के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई, तब से निरंतर शंकरलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। बाद सेटलमेंट नवीन खसरा सं0 143 रकबा 0.58 है0 कायम कर शंकरलाल आत्मज ओंकार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। शंकरलाल के स्वर्गवास होने पर अपीलार्थी एक मात्र उत्तराधिकारी एवं कायम मुकामान होने से अपीलार्थी के नाम इंतकाल तस्दीक कर अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया, तब से ही अपीलार्थी बहैसियत खातेदार निरंतर नियमन आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वर्ष 2015 तक अपीलार्थी के नाम दर्ज रही है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बकाया राशि नहीं जमा कराये जाने के कारण प्रश्नगत आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.01.1977 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे तथा राशि जमा कराये जाने के आदेश फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होना प्रकट किया गया।

6. अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर/साक्ष्य पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला उपनिवेशन अधिकारी, कोटा द्वारा आदेश

अति. सं. आयुक्त कोटा

दिनांक 03.01.1977 से ग्राम बृजेशपुरा तहसील लाड़पुरा के खसरा सं0 87 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा सं0 89 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा शंकरलाल आत्मज ओंकार के पक्ष में किये गये नियमन को बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क है कि इंतकाल संख्या 24 दिनांक 25.12.1970 से नियमन आराजी शंकरलाल के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई, तब से निरंतर शंकरलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। बाद सेटलमेंट नवीन खसरा सं0 143 रकबा 0.58 है0 कायम कर शंकरलाल आत्मज ओंकार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। शंकरलाल के स्वर्गवास होने पर अपीलार्थी एक मात्र उत्तराधिकारी एवं कायम मुकामान होने से अपीलार्थी के नाम इंतकाल तस्दीक कर अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया, तब से ही अपीलार्थी बहैसियत खातेदार निरंतर नियमन आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजी वर्ष 2015 तक अपीलार्थी के नाम दर्ज रही है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बकाया राशि नहीं जमा कराये जाने के कारण प्रश्नगत आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलार्थी द्वारा अनवरत कब्जा काश्त बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं किए। लम्बे समय तक राशि भी जमा नहीं कराने से भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया गया, जिसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रकट हो कि अपीलार्थी द्वारा राशि जमा कराने हेतु चाराजोही की गयी हो। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा अपील के तथ्यों को सिद्ध करने में असमर्थ रहने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

6/5/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा